

1686

(59)

87500
14000

5000Rs.



(1)

हम कि रेवतीरमण दास पुत्र स्व०
पुरुषोत्तम दास खुद व बहैसियत
अफसर व कर्ता खानदान अपने
साख निवासी अलीनगर, गोरखपुर
के हैं।

हम कि रेवतीरमण दास पुत्र स्व०
पुरुषोत्तम दास खुद व बहैसियत
अफसर व कर्ता खानदान अपने
साख निवासी अलीनगर, गोरखपुर
के हैं।

W. P. K. Ram. No. 31
SI. No. 10000. Ram. No.
Mungar, Gorakhpur.

विदित हो कि आराजी भूमिधरी
नंबर 668 रकबा 65 डिस्मल
न० म० पा० वाराणसी नंबरी सी.
26/2 वाका मुहल्ला कबीर चौरा,
शहर वाराणसी हम मुकिर की
खानदानी व मौरूसी जायदाद है,
जिस पर जमींदारी विनाश के बाद



(2)

स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास का नाम
 राजस्व अभिलेख में बहैसियत
 भूमिधर के अंकित रहा जिसमें
 इस समय हम मुक़िर 1/3 हक
 व हिस्सा का भूमिधर हैं तथा उस
 पर बहैसियत अफसर व कर्ता
 खानदान के मालिक व काबिज हैं
 और जिस पर हम मुक़िर का नाम
 अर्सा से मुहकमा माल सरकारी
 तथा न.म.पा. वाराणसी में दर्ज चला
 आता है, जिसका कुल टैक्स लगान
 आदि हम मुक़िर अपने भाग का



(3)

अदा करता चला आता है जिसमें हम मुक़िर के साथ कोई दीगर शख्स शरीक सहीम व हिस्सेदार नहीं है। हम मुक़िर को अपना 1/3 हक व हिस्सा जायदाद मजकूर के बय, रेहन आदि का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, जो चाहे सो करूं। हम मुक़िर मय परिवार वाराणसी के बाहर गोरखपुर में निवास कर रहा है। इस कारण हम मुक़िर को जायदाद मजकूर के देखभाल व इंतजाम वगैरह में



(4)
 दिक्कत होती है और उसमें अपने पास से सर्फा करना पड़ता है और कोई फायदा नजर नहीं आता, इस कारण हम मुक़िर ने परिवार के लोगों से रायकर यह मुनासिब समझा कि जायदाद मजकूर को किसी व्यक्ति के हाथ उचित मूल्य पर बय कर देवें और उसके बिक्रय मूल्य से कोई दूसरी जायदाद शहर गोरखपुर में या अन्यत्र सुविधा अनुसार खरीद कर लेवें और जो बिक्रय मूल्य बच



(5)

जावे उसको रोजगार में लगा दें
जिससे खानदान के लोगों का
फायदा हो, ऐसा निश्चय कर हम
मुक़ि़र ने जायदाद मजकूर के
1/3 भाग के बय की बातचीत
लोगों में चलाया जिस पर मेसर्स
रमा कालोनाईजर्स प्रा० लि० जरिये
डाइरेक्टर श्री सर्वेश कुमार अग्रवाल
पुत्र श्री लक्ष्मण दास अग्रवाल
निवासी मुहल्ला बुलानाला, शहर
वाराणसी 1/3 भाग जायदाद मजकूर
को ब एवज कीमत मुबलिंग



(6)

7,00,000/- सात लाख रूपया,
 पर खरीद करने को तैयार व
 अमादा है, जो कीमत जायदाद
 मजकूर बलेहाज मौका व रेट
 बाजारी के अत्यन्त मुनासिब है,
 इससे अधिक कीमत कोई अन्य
 व्यक्ति देने को तैयार नहीं है। इस
 कारण हम मुक़िर ने 1/3 भाग
 जायदाद मजकूर बहक व बदस्त
 खरीददार मेसर्स रमा कालोनाईजर्स
 प्रा० लि० बय करना और उसका
 बैनामा रजिस्ट्री करना मंजूर कर



(7)

लिया है। अतः स्वस्थ चित्त से प्रसन्नतापूर्वक बिना किसी प्रकार के बाह्य दबाव के भली भाँति समझ बूझकर आराजी भूमिधरी नंबरी 668 रकबा 65 डिस्मल नगर महापालिका, वाराणसी नंबर सी0 26/2 वाका मुहल्ला कबीरचौरा, शहर वाराणसी जिसका पूर्ण विवरण तथा चतुर्सीमा अधोलिखित है, जो संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित है के 1/3 भाग को ब एवज कीमत मुबलिंग 7,00,000/- सात लाख



(8)

रूपया पर बहक खरीदार मेसर्स
रमा कालोनाईजर्स प्रा० लि० जरिये
डाइरेक्टर सर्वेश कुमार अग्रवाल
पुत्र श्री लक्ष्मण दास अग्रवाल
निवासी मुहल्ला बुलानाला, शहर
वाराणसी के हाथ बय किया व
बेचा और यह बैनामा बहक व
बदस्त खरीदार मजकूर निम्नलिखित
प्रतिबंधों सहित लिखकर उससे
अपने को तथा अपने
उत्तराधिकारियों को आबद्ध करते
व होते हैं :-



(9)

1. यह कि हम मुक़िर ने संपूर्ण तय शुदा बिक्रय मूल्य मुबलिग 7,00,000/- सात लाख रूपया में से मुबलिग 1,00,000/- एक लाख रूपया खरीददार मजकूर से कबल बैनामा हाजा जरिये रसीद मोरखा 17 मार्च 1993 स्टाम्प खरीद करने हेतु नगद वसूल पा लिया है बकिया बिक्रय मूल्य मु0 6,00,000/- छः लाख रूपया हम मुक़िर ने खरीददार मजकूर से जरिये दो किता बैंक ड्राफ्ट यानि



(10)

मु० 4,00,000/- चार लाख रूपया
 जरिये बैंक ड्राफ्ट नंबर
 DD/92/W 152464 दिनांक 20 मार्च 1993
 ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा मैन ब्रांच
 वाराणसी का तथा मु० 2,00,000/
 जरिये बैंक ड्राफ्ट नं. DD/92/W 152468
 दिनांक 20 मार्च 1993 ऊपर बैंक
 ऑफ बड़ौदा मैन ब्रांच वाराणसी
 का आज समक्ष सब रजिस्ट्रार
 वाराणसी के प्राप्त कर लिया।
 अब खरीददार के जिम्मे हम मुकिर
 का बिक्रय मूल्य के संबंध में कुछ



(11)

भी पावना बाकी नहीं है। यदि हम मुक़िर अथवा हम मुक़िर के उत्तराधिकारी भविष्य में संपूर्ण अथवा आंशिक बिक्रय मूल्य के प्राप्ति के संबंध में किसी प्रकार का कोई उज़्र करें तो वह इस बिक्रय पत्र के समक्ष मिथ्या व निराधार सिद्ध होगा।

2. यह कि हम मुक़िर ने बिक्रय की गयी जायदाद पर से अपना कब्जा दखल मालिकाना हटाकर उस पर खरीदार मजकूर का



(12)

वाकई कब्जा दखल मलिकाना
 आज की तारीख में करा दिया
 है। खरीददार मजकूर को हक
 हासिल है कि वह बिक्रय की
 गयी जायदाद में बहैसियत मालिक
 के काबिज दखील रहकर उसके
 संपूर्ण स्वामित्व का उपयोग एवं
 उपभोग करें। आज की तारीख से
 हम मुक़िर से बिक्रय की गयी
 जायदाद से किसी किस्म का कोई
 वास्ता व सरोकार नहीं रहा और
 न भविष्य में होगा।



(13)

देवरी १ धरणा दास 3. यह कि बिक्रय की गयी जायदाद हर प्रकार के ऋण बोझ, संपत्ति दोष एवं हस्तांतरण आदि रेहनदारी, बयदारी, जमानत, कुर्की चार्ज वगैरह से मुक्त पाक साफ हालत में बहक खरीददार बय की गयी है। यदि भविष्य में बिक्रय की गयी जायदाद में कोई दीगर व्यक्ति शरीक सहीम व हिस्सेदार पाया जावे अथवा बिक्रय की गयी जायदाद का संपूर्ण अथवा आंशिक भाग खरीददार मजकूर के कब्जा



(14)

दखल से निकल जावे उस दशा में खरीददार मजकूर को हक हासिल होगा कि अपना कुल क्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा वगैरह के हम मुक़िर से वसूल कर लेवे।

4. यह कि हम मुक़िर मय परिवार अर्सा से शहर गोरखपुर में निवास रख रहे हैं और बिक्रय की गयी जायदाद से हम मुक़िर व उसके परिवार को कोई फायदा नहीं था बल्कि बिक्रय की गयी जायदाद के देखभाल व



(15)

इंतजाम में पास से सफा करना पड़ता था, इस कारण हम मुकिर ने परिवार के लोगों के राय से वास्ते फायदा अहलियान खानदान, जायदाद मजकूर को बहक खरीददार मजकूर बय करना कबूल किया है। लेहाजा यह बैनामा हाजा बहक खरीददार मजकूर तहरीर किया जा रहा है।

5. यह कि खरीददार मजकूर को हक हासिल होगा कि बिक्रय की गयी जायदाद पर न.म.पा. वाराणसी



(16)

व मुहकमा माल सरकारी में आवश्यक प्रार्थना पत्र देकर हम मुक़िर के नाम के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवा लेवे और उसका टैक्स मकान तथा नल पानी व नीज लगान आदि जो निर्धारित होवे अपने पास से अदा किया करें। आज के तारीख के पूर्व के संपूर्ण टैक्स व लगान व खर्चा बिजली के अदायगी की जिम्मेदारी हम मुक़िर पर होगी। हम मुक़िर ने खरीददार के नाम

देवरी रजिस्ट्रार दफ्तर



(17)

२७ चढ़वाने के प्रार्थना पत्र पर अपनी
स्वीकृति के हस्ताक्षर कर हवाले
खरीददार मजकूर कर दिया है।

6. यह कि हम मुक़िर ने बिक्रय
की गयी जायदाद के बिक्रय हेतु
आवश्यक सिलिंग अनुमति संख्या
249 दिनांक 7 मई सन् 1992
ई० मुहकमा सिलिंग विभाग,
वाराणसी से तथा आयकर मुक्ति
प्रमाण पत्र आयकर विभाग गोरखपुर
से हासिल कर लिया है जिसके
बिना पर बैनामा हाजा बहक



(18)

खरीददार मजकूर तहरीर किया गया है जिसके पंजीकृत किये जाने में कोई कानूनी रुकावट नहीं हैं।

7. यह कि हम मुक़िर ने जैसा कि तय हुआ हैं बिक्रय की गयी जायदाद पर देय स्टाम्प शुल्क की कुल धनराशि अपने पास से अदा किया है।

इस वास्ते यह बैनामा हाजा अच्छी तरह पढ़ व पढ़वा कर उसका प्रत्येक शब्द सुन व समझ



(19)

कर उसके कानूनी असरात को
अपने कानूनी सलाहकार से जान
व समझ कर अपने स्वेच्छा से
बहक खरीददार मजकूर लिख
दिया कि प्रमाण रहे व समय पर
काम आवें।

तफसील जायदाद मुबैया

देवती देवराया दाल

बाग आराजी भूमिधारी नंबर 668 रकबा
65 (पैंसठ) डिस्मल वाका मौजा
जैतपुरा परगना देहात अमानत
तहसील व जिला वाराणसी जिस
पर म. नं. सी. 26/2 वाका



(20)

२७ मुहल्ला कबीरचौरा शहर वाराणसी
स्थित है, मय जमीन व ईमारत
मय चहार दीवार व मय संपूर्ण
भूभाग बिना छोड़े किसी अधिकार
के मय संपूर्ण हक आशाईस
अंदरूनी व बेरूनी जिसका क्षेत्रफल
28314 वर्गफीट और कवर्ड
एरिया 96.90 वर्ग मीटर है और
जो संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित
है, का 1/3 भाग जिसका
क्षेत्रफल 9434 वर्गफीट है और
कवर्ड एरिया 32.3 वर्गमीटर है



(21)

बहक खरीददार बय किया गया।
 संपूर्ण मकान नं. सी. 26/2
 मजकूर में कुल मिलाकर छोटे
 बड़े सात अदद कमरे विद्यमान
 है जिनकी साईज संलग्न नक्शे में
 प्रदर्शित है। संपूर्ण म. नं. सी.
 26/2 मजकूर ^{खरीदने के समय} 100 साल से
 अधिक पुराना है। बिक्रय की गयी
 जायदाद का न. म. पा. वाराणसी
 का अनुपातिक असेसमेन्ट मुबलिंग
 1,000/- वार्षिक है जिसका
 लगान मुबलिंग 2/- रू. वार्षिक



(22)

है। संपूर्ण जायदाद की चतुर्सीमा
अधो-लिखित है:-

पूरब: कबीर मंदिर सी. 26/1,
पश्चिम: मकान दमड़ी वगैरह

उत्तर: मकान, खुली जमीन व
चमरौटी

दक्षिण: मकान नं. सी. 26/3 व
रास्ता सरकारी,

मसविदा कर्ता : आनंद राज गोहिल

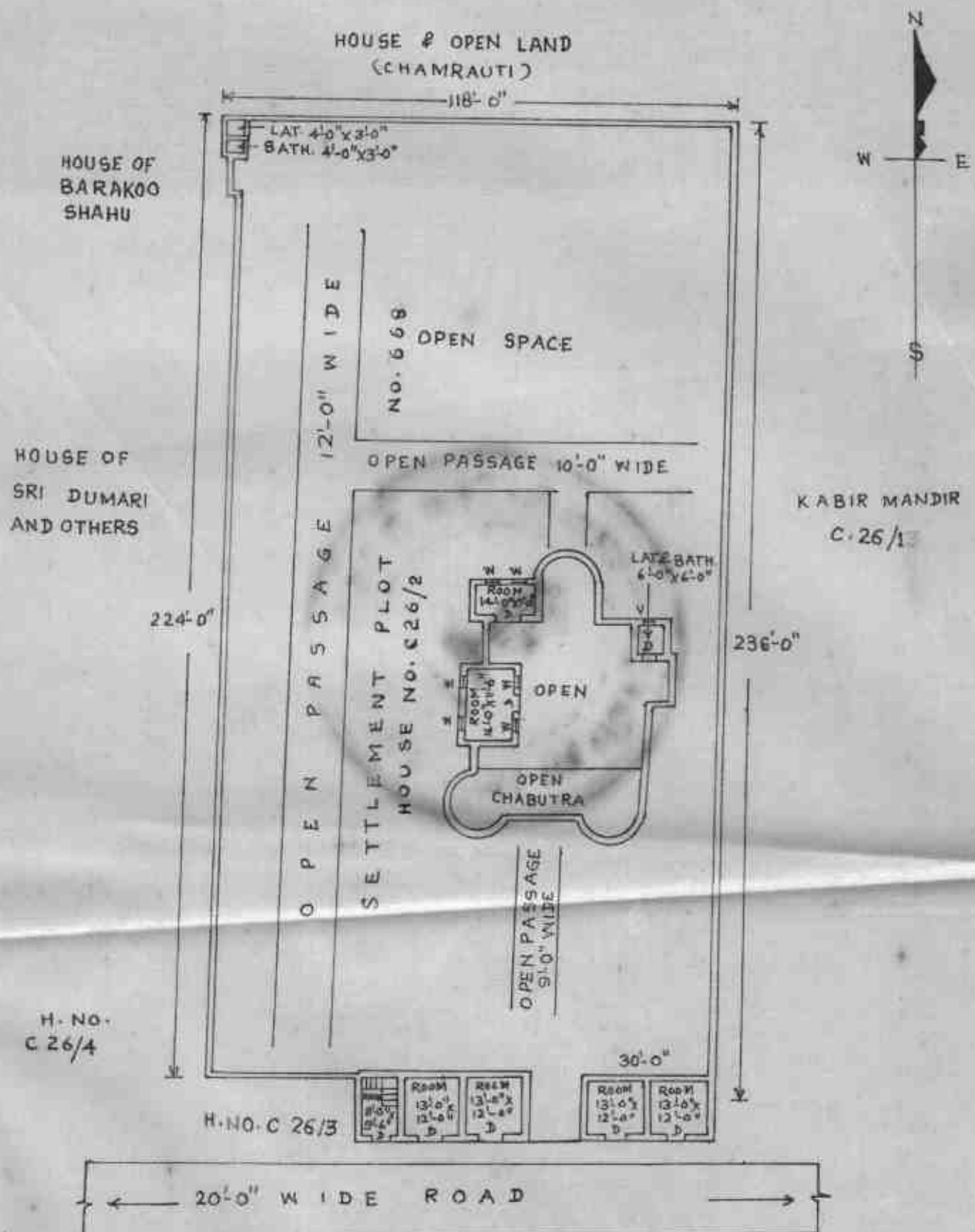
टाईप कर्ता : अरोड़ा एसोसिएट, सप्तसागर, वाराणसी

तहरीर तारीख : 20-2-53

देवती दत्त दाल

1/3RD AREA = 9438 S.FT.

TOTAL COVERED AREA = 1042 S.FT = 96.90 M²

$$1/3^{RD}. \text{ COVERED AREA} = 347.3 \text{ S.F.T.} = 32.3 \text{ M}^2$$


SK Snivastava
DAMAN

DRAWN BY.....

२. खेवती प्रमाण

SIG. OF OWNER